पत्र संख्या–.........111........................./

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

बिहार, पटना।

प्रेषक,

नर्मदेश्वर लाल, भा0प्र0से0

सरकार के सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

भागलपुर।

पटना–15, दिनांक–......22/4/15........../2015

विषय :– बिहार गोशाला अधिनियम, 1950 के तहत निबंधित गोशालाओं की परिसम्पत्तियों पर अवैध दखल/अधिकृत कब्जा हटाने के संबंध में।

प्रसंग :– आपके पत्रांक–873 दिनांक–14.03.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में निम्न कार्रवाई अपेक्षित है :–

(1) अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित श्री गोशाला, भागलपुर सिटी एवं श्री मोहनपुर गोशाला, मोहनपुर जो भागलपुर सिटी गोशाला द्वारा पोषित है का भूमि का ब्यौरा काफी कम एवं अस्पष्ट (रकबा) है। गोशाला के निबंधन के समय गोशाला की भूमि पंजी में 1520 बीघा भूमि दर्ज है, कम भूमि दर्शाने का कोई स्पष्ट उल्लेख भी नहीं है।

(2) अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर द्वारा सूचित किया गया है कि श्री गोशाला, सुल्तानगंज अस्तित्व में नहीं है। साथ ही उनके द्वारा गोशाला की कुल भूमि 1.39 एकड़ की जानकारी देते हुए सूचित किया गया है कि पहले खतिहान में सचिव, गोशाला का नाम दर्ज था, जिसे बाद में अनाबाद कर उस भूमि को बी0एस0एन0एल0 एवं अन्य को दे दिया गया, जहाँ पर उनका कार्यालय इत्यादि का निर्माण करा लिया गया है। निबंधन के समय सुल्तानगंज गोशाला के गोशाला के भूमि पंजी में 19.74 एकड़ भूमि दर्ज है। अतः खतिहान में बदलाव का कारण एवं प्रतिवेदित भूमि एवं गोशाला पंजी में दर्ज भूमि में अन्तर से संबंधित एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन अपेक्षित है।

(3) अनुमंडल पदाधिकारी, नवगछिया के पत्रांक–337 दिनांक–10.03.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री गोपाल गोशाला, नवगछिया का 82.29 एकड़ भूमि मधेपुरा जिला में अवस्थित है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। साथ ही आपके द्वारा प्रतिवेदित श्री गोपाल गोशाला, नवगछिया का 14 बीघा, 02 कट्ठा, 15 धुर जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन, कृपया प्रेषित किया जाय।

(4) यहाँ यह कहना प्रासंगिक होगा कि इस मामले में आपके द्वारा साप्ताहिक समीक्षा आवश्यक होगी, क्योंकि इस मामले की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियमित रूप से की जा रही है।

(5) यह भी उल्लेखनीय है कि सभी प्रतिवेदनों में जमीन का ब्यौरा (रकबा) बीघा/एकड़/हेक्टेयर में प्रतिवेदित किया जा रहा है जबकि गोशाला भूमि पंजी में प्रायः बीघा, कट्ठा, धूर/एकड़ में अंकित है। अतः अपने प्रतिवेदन में रकबा बीघा=एकड़=हेक्टेयर तीनों इकाई में परिवर्तित कर प्रतिवेदित करें जिससे गोशाला पंजी से मिलान किया जा सके।

अतः उपरोक्त पर समयबद्ध एवं ठोस कार्रवाई की नितान्त आवश्यकता है। पुनः संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी–सह–पदेन अध्यक्ष, गोशाला को दिनांक–25.04.2015 तक गोशाला की भूमि का अद्यतन स्थिति एवं मुक्त कराये गये भूमि का ब्यौरा पूर्व में दिये गये प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को ई–मेल (secyahd-bih@nic.in) पर अचुक रूप से भेजने का निदेश देना चाहेंगे।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

22/04

सरकार के सचिव।